प्रेस नोट **दिनांक 11.01.2026**

पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला 15000 रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद तंमचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जनपद-मऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, मऊ महोदय के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी घोसी मऊ के कुशल निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु दिनांक 10.01.2026 को उ0नि0 राजकमल मय हमराह हे0का0 मानिक राज यादव, का0 संदीप यादव के देखभाल क्षेत्र,रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अपराधी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन आदि मे अदरी चट्टी पर मौजूद होकर संदिग्ध व्यक्ति वाहन आदि की चेकिंग के दौरान एक मोटर साईकिल पर तीन सवार व्यक्ति अदरी मोड़ की तरफ से आ रहे थे जिनको पुलिस वालो द्वारा रोकने का प्रयास किया गया । तो वाहन पर बैठे तीनो व्यक्ति गाडी रोककर दो दिशा मे भागने लगे तथा दोनो तरफ से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगे, इसी दौरान एक अभियुक्त घायल हो गया दो अभियुक्त अंधेरे का फायदे उठाकर भागने मे सफल रहे, घायल अभियुक्त से उसका नाम पता पुछने पर उसके द्वारा अपना नाम शिवानन्द यादव उर्फ शिवा पुत्र राजा राम यादव निवासी अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 0.315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 0.315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस 0.32 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त शिवानन्द यादव उपरोक्त के सम्बन्ध मे जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शिवानन्द उपरोक्त थाना हलधरपुर के मु0अ0सं0 317/2025 धारा 3(5),109,352,351(3),131 बीएनएस मे 15000 रुपये का पुरस्कार घोषित तथा थाना कोपागंज के मु0अ0सं0 355/2025 धारा 3(5),109,115(2),351(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा मे वांछित अपराधी है। पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 18/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है। अभियुक्त के इलाज हेतु ट्रामा सेंटर बीएचयू वाराणसी भर्ती कराया गया है। अभियुक्त शिवानन्द यादव उर्फ शिवा पुत्र राजा राम यादव निवासी अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके उपर जनपद के विभिन्न थानों पर कुल 13 अभियोग व जनपद बलिया के थाना भीमपुरा मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शिवानन्द यादव उर्फ शिवा पुत्र राजा राम यादव निवासी अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष

फरार अभियुक्त का विवरण-

1. अनुज कुमार नि/वासी अदरी थाना कोपागंज जनपद मऊ

2. मनीष कुमार निवासी बुढावल थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

गिरफ्तारी का स्थानः-

अदरी चट्टी थाना कोपागंज जनपद मऊ

दिनांक-10.01.2026 समय 21.15 बजे

बरामदशुदा माल का विवरणः-

1. 01 अदद तमन्चा 0.315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 0.315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस 0.32 बोर

आपराधिक इतिहासः-

शिवानन्द यादव उर्फ शिवा पुत्र राजा राम यादव निवासी अलीनगर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष

1. मु0अ0सं0 320/2022 धारा 379,411 भादवि थाना हलधर पुर जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 30/2024 धारा 379,411,413,414,420,467,471 भादवि थाना हलधरपुर जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 166/2024 धारा 147,148,307,323,504,506 भादवि 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 186/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 88/2024 धारा 411,413,414,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. मु0अ0सं0 89/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
7. मु0अ0सं0 108/2024 धारा 411,413,414,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
8. मु0अ0सं0 358/2024 धारा 261,262 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
9. मु0अ0सं0 24/2023 धारा 380,411 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
10. मु0अ0सं0 23/2024 धारा 34,379,411,420,467,468,471 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
11. मु0अ0सं0 355/2025 धारा 3(5),109,115(2),351(2) थाना कोपागंज जनपद मऊ
12. मु0अ0सं0 317/2025 धारा 3(5),109,352,351(3),131 बीएनएस थाना हलधरपुर जनपद मऊ
13. मु0अ0सं0 18/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ
14. मु0अ0सं0 177/2023 धारा 363,366,457 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना भीमपुरा जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1- उ0नि0 उ.नि. राज कमल थाना कोपागंज जनपद मऊ

2- हे0का0 मानिक राज यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ

3- का0 संदीप कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ

महिला ऐच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 06 दंपति साथ साथ रहने को हुए राजी 59 मामलों में से 19 का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक आज दिनांक 11.1.2026 को पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुई। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के समक्ष 59 मामले प्रस्तुत हुए जिसमे ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से 06 दंपति आपसी मतभेद भुलाकर आपस में सुखमय जीवन बिताने का संकल्प लिया। अन्य मामालों में आज कुल 01 एफआईआर दर्ज हुए ,13 अन्य मामले वादी या विपक्षी के उदासीनता की वजह से बन्द कर दिए गए। तथा अन्य बचे मामलों हेतु अगली तारीख 25.01.26 दी गयी। ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों में अर्चना उपाध्याय,शाहिद पैरिस ने मामलों का निस्तारण किया ।साथ में महिला थाना प्रभारी कल्पना मिश्रा ,एस आई समरजीत यादव,एस आई झिल्लू राम तथा महिला आरक्षी पूनम पाल हाजिर रहे।